आवश्यक/महत्वपूर्ण

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या–डीजी–67/2016 दिनांकः नवम्बर 21, 2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

.....

विषयः उ0प्र0 पुलिस राजकीय आवास आवंटन, अध्यासन एवं क्षतिपूर्ति किराये के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जनपदीय पुलिस एवं विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध राजकीय आवासों के आबंटन हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

1– पुलिस विभाग में निम्न 04 प्रकार के आवास हैं :–

(1) पूल के आवास : इन आवासों को सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है, जो आवास स्थित स्थानों(जनपदीय सीमा के अन्दर स्थित पुलिस लाइन्स अथवा पुलिस की अन्य सभी इकाई यथा–जी.आर.पी., ई.ओ.डब्ल्यू., ए.सी.ओ., सी.बी. सी.आई.डी. इत्यादि)में नियुक्त हो। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण उसी जनपदीय सीमा के अन्दर एक जनपद/इकाई से उसी जनपदीय सीमा के अन्दर स्थित जनपदीय पुलिस अथवा दूसरी इकाई में होता है तो उसे आबंटित राजकीय आवास रिक्त नहीं करना होगा।

(2) पीएसी के आवास : इन आवासों को सेनानायक द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटित किया जा सकता है जो इस वाहिनी में नियुक्त हों। पीएसी के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यिूटी का प्रकार इस तरह का है कि वे तकरीबन वर्ष में 10 माह ड्यिूटी में बाहर रहते है। अतः उनके परिवार को सुरक्षा एवं कल्याण के दृष्टिकोण से प्राथमिकता पर आवास आबंटित किया जाना जरूरी है। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर, चाहे वह स्थानान्तरण पर उसी जनपद में हों, आवास खाली करना होगा। किसी भी कर्मी को अगर वह पीएसी इकाई में नियुक्त नहीं है तो आवास रिक्त करना अनिवार्य होगा ताकि वाहिनी पीएसी में नियुक्त कर्मी को आवास की सुविधा प्रदान की जा सके ।

(3) थाने के आवास : प्रत्येक थाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास बनाये गये है एवं उन्हें थाने पर तैनात कर्मियों को आबंटित किया जाता है। जनपदीय पुलिस की आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस कर्मियों की थानों पर उपलब्धता जरूरी है। अतः यह आवास थाने पर नियुक्त कर्मियों को ही आबंटित किये जाये। अगर अधिकारी/कर्मचारी थाने से दूसरे थाने/अन्य इकाई में स्थानान्तरित होता है तो उसे आवास रिक्त करना अनिवार्य होगा ।

(4) इकाई के आवास : प्रत्येक जनपद इकाइयों (यथा–जी.आर.पी., ई.ओ.डब्ल्यू., ए.सी.ओ., सी.बी. सी.आई.डी. इत्यादि) के पृथक–पृथक आवास उपलब्ध हैं। इन आवासों को सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को आवंटितकिया जायेगा, जो अधिकारी/कर्मचारी उस इकाई में नियुक्त हो। एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण होने की स्थिति में सम्बंधित कर्मी को आबंटित आवास रिक्त करना होगा तथा जिस इकाई में उस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है, उसी इकाई में आवास आवंटन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र देकर आवास आवंटन कराना होगा।

नवसृजित जनपदों/पीएसी वाहिनियों, जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर आवासीय व्यवस्था होने तक ऐसे जनपद/वाहिनी में नियुक्त/स्थानान्तरित कर्मी उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व से आबंटित जनपद/इकाई के आवास में अध्यासन बनाए रख सकता है। इसके लिए नवसृजित जनपद/वाहिनी में आगमन की तिथि के बाद एक माह के अन्दर पूर्व नियुक्ति स्थान के आवास आबंटन हेतु सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा ।

नवसृजित जनपदों/पीएसी वाहिनीयों में आवासीय व्यवस्था की समीक्षा प्रत्येक वर्ष एक समिति द्वारा की जायेगी, जो यह तय करेगी की नवसृजित जनपद/पीएसी वाहिनी में प्रर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो गयी है अथवा नहीं। अगर समिति पाती है कि नवसृजित जनपद/वाहिनी में पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो गयी है तो पूर्व से आबंटित जनपद/इकाई के आवास को अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिक्त करना होगा ।

## 2– आवंटन की विधि :–

(1) पुलिस राजकीय आवास आवंटन हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने नियुक्ति स्थल पर बने पुलिस राजकीय आवास आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी को सम्बोधित करते हुए उचित माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) सक्षम अधिकारी इन आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेंगे, इन प्राप्त आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में तिथिवार अंकित करेंगे और वरिष्ठता क्रम के आधार पर आवासों का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। सक्षम अधिकारी श्रेणीवार आवास आवंटन के सम्बन्ध में रजिस्टर का रख रखाव करेंगे तथा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र की उसमें पृविष्टि करेंगे। सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि विशेष परिस्थिति में अपवादस्वरूप (अधिकतम कुल आवासों का 10 प्रतिशत) वरिष्ठता क्रम को नजर अन्दाज कर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटित किया जा सकता है परन्तु इस अधिकार का प्रयोग सक्षम अधिकारी द्वारा विषम परिस्थितियों में अपवादस्वरूप ही किया जायेगा तथा ऐसे विशेष कारणों का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा आबंटन आदेश में किया जायेगा ।

(3) सक्षम अधिकारी द्वारा पुलिस राजकीय आवास आबंटन हेतु आवेदन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी/पद को दृष्टिगत रखते हुए उसके पद के अनुरूप अनुमन्य

श्रेणी का ही आवास आवंटित किया जायेगा। जिस श्रेणी के लिये जो अधिकारी/कर्मचारी पात्र है, उसे उस श्रेणी का आवास आवंटित किया जायेगा।विषम परिस्थिति में आवेदक द्वारा समुचित कारणों का उल्लेख करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा यदि युक्ति–युक्त कारण पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में विचलन कर उस अधिकारी/कर्मचारी को उसकी अनुमन्य श्रेणी से उच्च अथवा निम्न श्रेणी का भी आवास आवंटित किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे विशेष कारणों का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा आबंटन आदेश में किया जायेगा ।

(4) आवास आवंटन की पात्रता, आवेदक द्वारा आवास आबंटन हेतु आवेदन पत्र दिये जाने के दिनांक की वरिष्ठता से होगी न कि सम्बंधित जनपद/इकाई में तैनाती के दिनांक से ।

(5) सक्षम अधिकारी द्वारा आवास आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य विचार किया जायेगा।

(6) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसे पुलिस राजकीय आवास आवंटित किया गया है और वह आवंटन के दिनांक से 01 माह के अन्दर कब्जा नहीं लेता है तो उसका आवास आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकता है ।

(7) सक्षम अधिकारी किसी अधिकारी/कर्मचारी का आवास आवंटन रद्द कर सकता है परन्तु आवास आबंटन रद्द करने सम्बन्धी आदेश में इसका कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा।

(8) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई आवास आवंटित है तथा उसके पति/पत्नी की नियुक्ति भी उसी स्थान पर हो जाती है, ऐसी स्थिति में पति/पत्नी दोनों को एक ही आवास आवंटित होगा, जब तक मा0 न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक पृथक करण के आदेश के द्वारा पृथक न कर दिया जाये।

(9) यदि कोई 02अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें अलग–अलग आवास आवंटित है तथा वे अधिकारी/कर्मचारी आपस में विवाह कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह के एक माह के अन्दर उन्हें एक आवास रिक्त करना होगा।

(10) किसी आवास का आवंटन उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस दिनांक को सम्बंधितअधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवास का कब्जा प्राप्त कर लिया जाये ।

(11) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, जिसे पुलिस राजकीय आवास आवंटित है, उससे किराये की वसूली, उसके द्वारा आवंटन आदेश स्वीकार करने अथवा 08 दिवस के अन्दर अध्यासन करने, जो भी पहले हो, के दिनांक से आवास को खाली कर दिये जाने तक के दिनांक की गणना के अनुसार होगी ।

(12) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, जिसे पुलिस राजकीय आवास आवंटित है, उस आवास में सरकार द्वारा दिये गये फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग या सेवाओं की उचित टूट–फूट के अलावा किसी क्षति के लिये व्यक्तिगत रूप से देनदार होगा।

(13) कोई अधिकारी/कर्मचारी, जिसे आवास आवंटित किया गया हो, उसी श्रेणी के दूसरे आवास को बदलने के लिये आवेदन पत्र दे सकता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रत्येक माह में एक बार विचार कर आदेश पारित किया जायेगा।

(14) समान श्रेणी के आवासों के परस्पर आदान–प्रदान करने के लिये सम्बन्धित अध्यासियों के आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(15) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसे स्थान पर कर दिया जाये, जहाँ उसे अपने साथ परिवार को ले जाने की अनुज्ञा या सलाह सरकार द्वारा न दी जाये और उसे आवंटित निवास स्थान पर परिवार व उसके बच्चों को वास्तविक शैक्षिक आवश्यकता के लिये अपेक्षित हो, ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर फण्डामेन्टल रूल्स 45ए के अधीन किराये का भुगतान करने पर बच्चों के चालू शिक्षा सत्र के अन्त(सम्बंधित वर्ष के 30 अप्रैल की तिथि) तक निवास स्थल पर बनाये रखने की अनुमति दी जा सकती है।

(16) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, जिसे राजकीय आवास आवंटित है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसे स्वच्छ दशा में रखेगा तथा तोड़–फोड़ नहीं करेगा। आवंटी अधिकारी/कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उसमें कोई भी निर्माण अथवा परिवर्तन नहीं करेगा।

(17) कोई अधिकारी/कर्मचारी उसे आबंटित राजकीय आवास में लगे हुए वृक्ष, झाड़ी या पौधों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं काटेगा।

(18) आवंटी अधिकारी/कर्मचारी भवन का स्वयं अध्यासन हेतु प्रयोग करेगा तथा वह किसी अन्य व्यक्ति को सिकमी/किराये पर नहीं देगा।

(19) आवंटी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राजकीय आवास खाली करने पर ऐसे आवास का कब्जा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को देगा और आवास में उपलब्ध राजकीय सम्पत्ति फिटिंग आदि चेक करायेगा ।

(20) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी, जिसे कोई निवास स्थान आवंटित किया गया हो, अनाधिकृत रूप से निवास स्थान को सिकमी को देता है या निवास स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत संरचना खड़ा करता है या निवास स्थान या उसके किसी भाग का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये वह बना हो, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये करता है या विद्युत या जल संयोजन में हस्तक्षेप करता है या आवंटन के निबंधनों और शर्तो का किसी अन्य प्रकार से उल्लंघन करता है या ऐसे किसी प्रयोजन के लिये जिसे पुलिस आवंटन अधिकारी पास–पड़ोस की सुरक्षा, स्वास्थ्य या शान्ति के लिये अनुचित या अहितकर समझता है, निवास स्थान या भूगृह आदि का प्रयोग करता है या उपयोग करने की अनुज्ञा देता है या करने देता है या पालतू कुत्तों और बिल्लियों से भिन्न दुधारू मवेशी या अन्य पशु रखता है या स्वयं इस प्रकार का आचरण करता है, जो उसकी राय में उसके पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाये

रखने के प्रतिकूल हो या उसने आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आवेदन पत्र या लिखित विवरण में जानबूझकर गलत सूचना दी हो तो पुलिस आवंटन अधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध की जाये, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निवास स्थान का आवंटन रद्द कर सकता है। सक्षम अधिकारी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करने हेतु निर्देश दे सकता है ।

परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा आवास आवंटन रद्द करने के पूर्व सम्बंधित अधिकारी को कारण बताने का अवसर दिया जायेगा ।

**3— आवंटित आवास में अध्यासन :—**किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके नियुक्ति स्थान से कार्यमुक्त होने के पश्चात् उसे वह आवास रिक्त करना होगा। इस सम्बन्ध में निम्न प्रतिबन्ध होंगे :—

| क्र. सं. | परिस्थिति | निवास स्थान बनाए रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि | |
|---|---|---|---|
| | | सामान्यतया | विशेष अनुज्ञा से अतिरिक्त अवधि |
| 1. | सेवानिवृत्ति | 01 माह | 03 माह (सामान्य अध्यासन एक माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर) |
| 2. | आबंटी की मृत्यु होने पर | 01 माह | 03 माह (सामान्य अध्यासन एक माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व आश्रितके आवेदन करने पर) |
| 3. | बाहर स्थानान्तरण होने पर | 01 माह | 02 माह (सामान्य अध्यासन एक माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर) |
| | | | 02 माह सामान्य किराए कें दो गुने की दर पर |
| | | | 02 माह सामान्य किराए के दो गुने की दर पर |
| 4. | त्यागपत्र, पदच्युत, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति की स्थिति में | 01 माह | |
| 5. | किसी ऐसे कार्यालय में स्थानान्तरण जो राज्य सरकार के अधीन न हो | 01 माह | |
| 6. | बाह्य सेवा में जाने पर | 01 माह | |
| 7. | भारत के बाहर अध्ययन,छुट्टी या प्रतिनियुक्ति की स्थिति में | छुट्टी की अवधि के लिये किन्तु 06 माह से अधिक नहीं | |
| 8. | भारत में अध्ययन छुट्टी | छुट्टी की अवधि के लिये किन्तु 06 माह से अधिक नहीं | |
| 9. | चिकित्सा आधार पर छुट्टी | छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिये | |
| 10. | प्रशिक्षण पर जाने पर | प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के लिये | |

4— आवंटी का अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर सक्षम अधिकारी निम्न परिस्थितियों में आवास में बने रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है :—

(1) शिक्षा सत्र के दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर शिक्षा—सत्र की समाप्ति के दिनांक (सम्बंधित वर्ष के 30 अप्रैल की तिथि) तक।

(2) यदि अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र एवं पुत्री कक्षा—9 एवं 11 के छात्र हैं और उनका उनका अन्यत्र स्थानान्तरण होता है, तो उन्हें कक्षा 10 एवं 12 के सत्र की समाप्ति(सम्बंधित वर्ष के 30 अप्रैल की तिथि) तक।

(3) राजकीय आवास में अध्यासन की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी जिसका विवरण नीचे दिया गया है, इन्हें यह अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में आवास में बने रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग सक्षम अधिकारी द्वारा विषम परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप ही किया जायेगा, ऐसे आदेशों को दृष्टान्त स्वरूप नहीं लिया जायेगा तथा ऐसे विशेष कारणों का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अवश्य किया जायेगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस लाइन/पूल के आवास | *सक्षम अधिकारीः—सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक जोन/ सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक |
| 2 | पीएसी वाहिनी के आवास | *सक्षम अधिकारीः— पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन |
| 3 | थानों के आवास | *सक्षम अधिकारीः— सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक |
| 4 | इकाई के आवास | *सक्षम अधिकारीः—सम्बन्धित इकाई के पुलिस महानिरीक्षक |

**( * सक्षम अधिकारी की उपलब्धता न होने पर सम्बन्धित इकाई में नियुक्त नामित सक्षम अधिकारी से उच्च पदस्थ अधिकारी)**

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकनार्थ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

5— यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आवास रिक्त नहीं करता है तो चाहें वह राजपत्रित अधिकारी हो अथवा अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी हो, उससे क्षतिपूर्ति किराये की वसूली समय—समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करायी जायेगी एवं Uttar pradesh Public Premises (Evaction of unauthorised occupants) Act-1992के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराकर विधिक कार्यवाही भी करायी जायेगी।

6— <u>क्षतिपूर्ति किराये की वसूली :—</u> उपरोक्त प्रस्तर—03 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राजकीय आवास में अध्यासन की अनुमन्यता के उपरान्त अध्यासी को राजकीय आवास रिक्त करना होगा। राजकीय आवास रिक्त न करने पर अध्यासी से क्षतिपूर्ति किराया वसूल

किया जायेगा। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः आर–02/32–2–92–1/69/85 दिनांक 02–01–1992 में उल्लिखित अनाधिकृत अध्यासन के लिये जैसा कि एफ0एच0बी0 खण्ड–2, भाग– 2–4 मूल नियम 45ए(4) के अधीन बनाये गये सहायक नियम–18ए–5 में दिया गया है, की स्थिति में शासनादेश संख्याः आर–8004/32–2–88 दिनांक 24–12–1988 के अनुसार श्रेणी 1, 2 और 3 के राजकीय आवासों के लिए रू0 20/–प्रति वर्गमीटर लिविंग एरिया की निर्धारित करेंगे तथा विशेष अन्य राजकीय आवासों के लिये रू0 25/–प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दरों से प्रतिमाह क्षतिपूर्ति देय होगी । यह किराया उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याःआर–7003/32–2–2001–27/2001, दिनांकित 11.01.2002 द्वारा संशोधित किया गया है, इसके अनुसार श्रेणी 1, 2 और 3 के राजकीय आवासों के लिए रू0 40/– प्रति वर्गमीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर से तथा अन्य राजकीय आवासों के लिये रू0 50/– प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दरों से प्रतिमाह क्षतिपूर्ति किराया देय होगा। यह किराए की दरें समय–समय पर निर्गत उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत संशोधित समझी जायेंगी ।

अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को निशुल्क आवास की सुविधा होती है परन्तु उनके स्थानान्तरण पर प्रस्थान के एक माह के पश्चात् यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। जहां तक क्षतिपूर्ति किराये का प्रश्न है, उक्त शासनादेश दिनांक 02–01–1992 एवं के अनुसार जनपदों वाहिनियों के लिविंग एरिया के आधार पर किराया निर्धारित करा लिया जाये ।

7– उपरोक्त शासनादेश के अनुसार किराये की वसूली की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी तथा यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पायी गयी तो इसे गम्भीर रूप से देखा जायेगा ।

21.11.16

( जावीद अहमद )
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश